दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथि: 25.01.2023</u>

रि.या.(आप.) 221/2023

मां एच के माध्यम से नाबालिग आर .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अन्वेश मधुकर, सुश्री प्राची निर्वाण और श्री यासीन सिद्दीकी, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सचिन मित्तल, राज्य के लिए अति.स्था.अधि. सह श्री निशांत चौहान और श्री अभिषेक त्यागी, अधिवक्तागण सह उप.नि. निशा रानी, पुलिस थाना शालीमार बाग।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या. (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता, एक नाबालिग, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी मां द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें उसने प्रत्यर्थी को 2021 में संशोधित गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के तहत उसकी गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति करने के लिए परमादेश की रिट के आधार पर निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2. तथ्य और परिस्थितियां जो याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने के लिए मजबूर करती हैं यह हैं कि वर्ष 2022 के सितंबर माह में नाबालिग बच्ची आर, अर्थात याचिकाकर्ता, जो लगभग 14 वर्ष की आयु की है, का प्राथमिकी में नामित अभियुक्त द्वारा यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया गया था। तथापि, शुरू में याचिकाकर्ता को चार माहवारी नहीं हुई, उसने अपनी मां को इस विषय में नहीं बताया क्योंकि वह डरी हुई थी। हालांकि, उसकी मां, एच, ने जब उसके शरीर में बदलाव देखा तो उसने यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी मां को बताया। याचिकाकर्ता/पीड़िता, आर, के कहने पर शालीमार बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376/328 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

3. इसके बाद, याचिकाकर्ता को उसकी एमएलसी के लिए बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया और उसका यूपीटी किया गया, जो पॉजिटिव पाया गया। दिनांक

19.01.2023 को जब एक नैदानिक एवं चित्रण केंद्र से उसका चिकित्सकीय परीक्षण/यूएसजी कराया गया, तो वह 24 सप्ताह और 5 दिनों की गर्भवती पाई गई। जांच अधिकारी दिनांक 20.01.2023 को बाल कल्याण समिति-X, जिला-बाहरी उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली, अलीपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ और याचिकाकर्ता को उसकी मां के साथ बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को जारी रखना नहीं चाहते हैं और वह अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता के मामले का अवलोकन करने पर, यह पाया गया कि वह एमटीपी अधिनियम, 1971 के तहत अनुमेय गर्भकालीन आयु सीमा से परे थी, इसलिए उसे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का निर्देश दिया गया।

4. वर्तमान याचिका के माध्यम से, इस न्यायालय से निम्नलिखित निर्देश और राहत की मांगी गई है:

> "i) प्रत्यर्थी सं. 2 को एक बोर्ड बनाने का निर्देश दें, जिसमें कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सक शामिल हों और याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के बारे में एक राय प्रस्तुत करें; और
>
> ii) आगे प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 को याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दें; और

iii) प्रत्यर्थी सं. 1 को पीड़िता की गर्भावस्था की समाप्ति, उसकी दवाओं, भोजन आदि के लिए आवश्यक सभी खर्चों को वहन करने का निर्देश दें; और

iv) प्रत्यर्थी सं. 2 को डीएनए परीक्षण के प्रयोजनों के लिए टर्मिनल भ्रूण को संरक्षित करने का निर्देश दें, जो पंजीकृत आपराधिक मामले के संदर्भ में आवश्यक होगा; और/या

v) मामला के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य आदेश पारित करें, जैसा भी माननीय न्यायालय उचित समझे।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता/पीड़िता 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की है जो यौन उत्पीड़न और अवांछित गर्भावस्था की शिकार है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उस पहलू, जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए है, पर विभिन्न निर्णयों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। (i) ***वेंकटलक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य,*** *सिविल अपील सं. 15378/2017, दिनांकित 21.09.2017* (ii) ***अपने वैध अभिभावक के माध्यम से सुश्री एक्स बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य***, *2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 2642,* और (iii) ***आर बनाम भारत संघ सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से व अन्य****, 2021 एससीसी ऑनलाइन केर 808*, के निर्णयों का अवलंब लिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठों ने

24 सप्ताह की गर्भावस्था की आयु के बाद बलात्कार पीड़ित की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने साथ ही उसके अभिभावक ने स्पष्ट रूप से भ्रूण को समाप्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है, क्योंकि गर्भावस्था की निरंतरता के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को गंभीर मानसिक चोट पहुंचेगी, जो इसमें बलात्कार की शिकार है।

6. इस न्यायालय के समक्ष गंभीर मुद्दा यह है कि क्या 14 वर्ष की बलात्कार पीड़िता, जो लगभग 25 सप्ताह की गर्भावस्था धारण कर चुकी है, को इसे समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

7. याचिकाकर्ता की दलीलों को समझने और वर्तमान मुद्दे का निर्णय करने के लिए, एमटीपी अधिनियम की धारा 3 का एक त्वरित संदर्भ आवश्यक है, जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

> **"3. पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भधारण कब समाप्त किया जा सकता है-**(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, कोई पंजीकृत चिकित्सक उस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा कोई गर्भावस्था समाप्त की जाती है.
>
> (2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है, -

(क) जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सक है, या

(ख) **जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक है, लेकिन इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित महिला की श्रेणी के मामले में चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सकों** ने सदभावनापूर्वक यह राय कायम की हो कि -

(i) **गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीररिक या मानसिक स्वास्थ को गंभीर क्षति का जोखिम होगा**; अथवा

(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चे का जन्म होता है, तो वह किसी भी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा।

व्याख्या 1.- खंड(क) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था से बचने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण या पद्धति की विफलता के परिणामस्वरूप कोई गर्भावस्था होती है, ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है।

व्याख्या 2.- **खंड(क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां गर्भवती महिला द्वारा बलात्कार के कारण गर्भावस्था होने का आरोप लगाया जाता है, वहां गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा**

को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जाएगा।

(2क) गर्भावस्था की भिन्न-भिन्न आयु पर गर्भावस्था की समाप्ति के लिए जिस पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक है, उसके लिए मानदंड इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त के अनुसार होंगे।

(2ख) गर्भावस्था की अवधि से संबंधित उप-धारा (2) के प्रावधान चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था के उस समापन पर लागू नहीं होंगे जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा निदान की गई भ्रूण संबंधी किसी भी पर्याप्त असामान्यताओं के कारण ऐसी समाप्ति आवश्यक बतायी गई है।

(2ग) प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, जैसी भी स्थिति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने के लिए, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, एक बोर्ड का गठन करेगा जिसे चिकित्सा बोर्ड कहा जाएगा।

(2घ) चिकित्सा बोर्ड में निम्न लोग होंगे:

(क) एक स्त्री रोग विशेषज्ञ (गाइनीकोलॉजिस्ट);

(ख) एक बाल रोग विशेषज्ञ;

(ग) एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट; तथा

(घ) ऐसे सदस्यों की अन्य संख्या, जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

(3) यह निर्धारित करने में कि क्या गर्भावस्था के जारी रहने में स्वास्थ्य को क्षति का ऐसा जोखिम होगा जैसा कि उपधारा (2) में वर्णित है, गर्भवती महिला के वास्तविक या तर्कसंगत पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है।

(4) (क) **ऐसी किसी महिला की गर्भावस्था, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसके अभिभावक की लिखित सहमति के बिना समाप्त नहीं की जाएगी।**

(ख) खंड (क) में अन्यथा प्रदत्त के सिवाय, गर्भवती महिला की सहमति के बिना किसी गर्भावस्था का समापन नहीं किया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

7.1. एमटीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत वैधानिक कानून में प्रावधान किया गया है कि किसी महिला के गर्भपात की अनुमति केवल विशेष श्रेणियों में दी जा सकती है, जहां यह 20 सप्ताह से अधिक है, लेकिन 24 सप्ताह से अधिक नहीं है और जहां चिकित्सकों की राय है कि ऐसी गर्भावस्था को जारी रखने से या तो महिलाओं के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचेगी या उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचेगी। जिन श्रेणियों के

तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, जहां गर्भावस्था 20 से 24 सप्ताह के बीच है, उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन, नियम 2003 के तहत निर्धारित किया गया है [गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा संशोधित], जिसमें सात श्रेणियां प्रदान की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

> "**3ख. 24 सप्ताह तक गर्भावस्था की समाप्ति के लिए पात्र महिलाएं** -
>
> अधिनियम की उप-धारा (2) धारा 3 के खंड (ख) के तहत महिलाओं की निम्नलिखित श्रेणियां 24 सप्ताह तक की अवधि तक गर्भावस्था की समाप्ति के लिए पात्र मानी जाएंगी, अर्थात :-
>
> (क) **यौन हमले या बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार की पीड़िताएं;**
>
> (ख) **नाबालिग**;
>
> (ग) चल रही गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन (वैधव्य और तलाक);
>
> (घ) शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार बड़ी विकलांगता);
>
> (ङ) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं;

(च) भ्रूण विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो वह गंभीर रूप से विकलांग होने की ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से ग्रस्त हो सकता है; और

(छ) मानवीय परिस्थितियों या आपदा या आपात स्थितियों, जो सरकार द्वारा घोषित की गई हों, में गर्भावस्था वाली महिलाएं।"

(जोर दिया गया)

7.2. उपरोक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि खंड (क) यौन हमले, बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार की पीड़िताओं से संबंधित है और खंड (ख) नाबालिगों से संबंधित है। वर्तमान मामले में, पीड़ित दोनों, अर्थात खंड (क) और (ख) के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह लगभग 14 वर्ष की नाबालिग है, जिसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया है। इसलिए, पीड़ित एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) के अधिदेश के अनुसार अधिसूचित नियमों के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रगणित विशेष श्रेणियों के तहत आता है।

7.3. इसके अलावा, उपर्युक्त प्रावधान के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि जहां गर्भधारण कथित तौर पर बलात्कार जैसे किसी कृत्य के कारण हुआ है, वहां ऐसी गर्भावस्था के कारण उत्पन्न पीड़ा को एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (i) के तहत अपेक्षित गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जाएगा। परिणामस्वरूप, यह विवाद

है कि यदि नाबालिग पीड़ित जिसका यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भ धारण करती है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर की गई चोट को क़ानूनी रूप से माना जायेगा |

7.4. इस न्यायालय के समक्ष अब यह सवाल बना हुआ है कि क्या इस न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए, लगभग 25 सप्ताह की गर्भावस्था के चरण में नाबालिग पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देनी चाहिए।

8. पीड़ित बच्चे की मां भी न्यायालय में उपस्थित है और चूंकि याचिकाकर्ता संशोधित अधिनियम के अनुसार 24 सप्ताह की अनुमेय सीमा से अधिक गर्भ धारण किया हुआ है, इसलिए नाबालिग बच्चे के अभिभावक की सहमति आवश्यक है। 24.01.2023 को, जब याचिका सुनवाई के लिए आई थी, इस मामले में तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को कि 19.01.2023 को पीड़ित बच्ची की अंतिम चिकित्सा जांच के बाद, जब वह लगभग 24 सप्ताह और 05 दिन की गर्भवती पाई गई थी, एक और सप्ताह पहले ही बीत गया था, तो इस न्यायालय ने पीड़ित बच्चे की मां से इस न्यायालय में यह पूछना उचित समझा था कि क्या इस मामले में होने वाली गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए उसकी सहमति है, एक ऐसे अस्पताल में जहां इस उद्देशय के लिए एक

बोर्ड है। पीड़ित बच्चे आर की मां एच का बयान तदनुसार इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था।

9. दिनांक 24.01.2023 को भी, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के चिकित्सा अभिलेख का अवलोकन किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि यूएसजी (अल्ट्रासाउंड) परीक्षण के अनुसार, 19.01.2023 को भ्रूण की गर्भावस्था की आयु लगभग 24 सप्ताह और 05 दिन थी। मामले में तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया था कि वह 25 जनवरी, 2023 को कानून के अनुसार उसके चिकित्सीय परीक्षण के लिए नाबालिग पीड़िता/याचिकाकर्ता को एमटीपी अधिनियम के तहत गठित राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड के समक्ष ले जाए, जिनसे 25.01.2023 को आवश्यक कार्रवाई करने और उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

9.1 दिनांक 24.01.2023 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, दिनांक 25.01.2023 को याचिकाकर्ता/पीड़ित को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ले जाया गया और प्राध्यापक और वरिष्ठ सलाहकार (प्रसूति और स्त्री रोग) की अध्यक्षता में 2:30 बजे एक 6 सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया और याचिकाकर्ता/पीड़ित का परीक्षण किया गया। इस न्यायालय को संबंधित

अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड से दिनांक 25.01.2023 की रिपोर्ट 5:30 बजे प्राप्त हुई जिसमें निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं:

> "....सुश्री आर, उम्र 14 वर्ष, सीआर संख्या 57432 दिनांक 25/01/2003 (एमएलसी: 220418 दिनांक 18/01/23 बाबू जगजीवन राम अस्पताल में) (रि.या.(आप.) 221/2023) को एमटीपी मामलों के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी मां श्रीमती एच की उपस्थिति में जांच की गई थी। इतिहास और उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गई। सुश्री आर की शारीरिक रूप से जाँच की गई और गर्भावधि की पुष्टि करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया था और रिपोर्ट अस्पताल के रिकॉर्ड में संलग्न है।
>
> बोर्ड का मानना है किः
>
> 1. सुश्री आर ने बलात्कार का आरोप लगाया कि नैदानिक जांच और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भावस्था 24 सप्ताह (+/-) 1 सप्ताह की है
>
> 2. सुश्री आर ने गर्भावस्था समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
>
> 3. सुश्री आर शारीरिक और मानसिक रूप से गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए सहमति देने के लायक हैं
>
> 4. सुश्री आर को हिस्टेरोटॉमी की आवश्यकता सहित गर्भ के चिकित्सीय समापन की प्रक्रिया और संबंधित जटिलताओं के बारे में बताया गया।

5. सुश्री आर गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए सहमति देने में सक्षम हैं।

चिकित्सीय बोर्ड की राय है कि सुश्री आर गर्भ के चिकित्सीय समापन से गुजरने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से लायक हैं। सुश्री आर को आवश्यक औपचारिकता के बाद यूनिट II डॉ इंदु चावला, (वरिष्ठ सलाहकार और एचओयू) में भर्ती कराया जा सकता है।

सदस्य:

डॉ. रेणुका मलिक (अध्यक्ष)
डॉ. विवेक दीवान (सदस्य)
डॉ. सुष्मा रानी के स्थान पर डॉ. प्रीति सैनिया (सदस्य)
डॉ. जया चावला (डॉ. अंजुम आरा के स्थान पर) (सदस्य)
डॉ. सरिता जिलोवा (सदस्य)
डॉ. गौतम शर्मा (डॉ. मीना चंद्रा के स्थान पर)

(सदस्य)...."

9.2 चिकित्सा बोर्ड की राय है कि याचिकाकर्ता/पीड़ित शारीरिक और मानसिक रूप से गर्भ के चिकित्सीय समापन से गुजरने के लायक है और यह कि गर्भावस्था 24 सप्ताह (+/- एक सप्ताह) की है और इसलिए, उसे आवश्यक औपचारिकताओं के बाद इसे पूरा करने के लिए वरिष्ठ परामर्शदाता और एचओयू के तहत संबंधित डॉक्टर की संबंधित इकाई में भर्ती किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को बोर्ड

द्वारा हिस्टेरोटॉमी की आवश्यकता सहित गर्भ के चिकित्सीय समापन की प्रक्रिया और संबंधित जटिलताओं के बारे में बताया गया।

10. इसी प्रकार की परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वेंकटलक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य, दीवानी याचिका 15378/2017, दिनांक 21.09.2017** के साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने भी **सुश्री एक्स, उसके विधिक संरक्षक के द्वारा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 2642 और **सुरेखा गौतम खोबरागड़े बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, रि.या. (आ) 69/2021, दिनांक 18.01.2021** में बलात्कार पीड़ितों के मामले में 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के समापन की अनुमति दी थी|

11. हालांकि इस कानून में भ्रूण की असामान्यताओं का पता लगाने के मामले को छोड़कर 24 सप्ताह की गर्भावस्था की आयु में गर्भपात का प्रावधान नहीं है, हालाँकि इसके संबंध में गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम की धारा 3 (2B) में संवैधानिक न्यायालयों की असाधारण शक्तियों का जो प्रावधान है, उसको भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है और उच्च न्यायालयों द्वारा कई बार उन मामलों में भी गर्भपात की अनुमति देने के लिए प्रयोग किया गया है जहां गर्भावस्था 24 सप्ताह की सीमा से अधिक हो गई है।

12. यौन उत्पीड़न के मामले में, किसी महिला को गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए ना कहने और मातृत्व की जिम्मेदारी के साथ उसे बाध्य करना उसे गरिमा के साथ जीने के उसके मानव अधिकार से वंचित करने के समान होगा क्योंकि उसे अपने शरीर के संबंध में अधिकार है जिसमें मां होने के लिए हां या ना कहना शामिल है। गर्भ के चिकित्सीय समापन के अधिनियम की धारा 3(2) महिला के उस अधिकार को दोहराती है। पीड़िता को यौन उत्पीड़न करने वाले पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का परिणाम अवर्णनीय पीड़ा होगा। कोई भी यह सोचकर कांप उठेगा कि इस तरह के भ्रूण को अपने गर्भ में ले जाने वाली पीड़िता को हर दिन किस दौर से गुजरना पड़ रहा होगा, उसे लगातार उस यौन हमले की याद दिलाई जा रही होगी जिससे वह गुजारी है। ऐसे मामले जहां यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप पीड़िता की गर्भावस्था होती है, और भी अधिक दर्दनाक होते हैं क्योंकि ऐसे दुखद क्षण की छाया पीड़िता के साथ हर दिन पड़ती है। यह वह मानसिक पीड़ा है जिसे गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम द्वारा ध्यान में रखा गया है जो न केवल गंभीर शारीरिक चोट पर बल्कि एक गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देती है। इसलिए धारा 3 (2)(i) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि गर्भावस्था जारी रहने से किसी गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचती है, तो वह वैध रूप से इसके समापन की मांग कर सकती है। इसी आशय को आगे बढ़ाते

हुए गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम की धारा 3 (2) स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि -

> "स्पष्टीकरण 2.- यदि किसी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण या पद्धति की विफलता के परिणामस्वरूप कोई गर्भावस्था होती है, तो ऐसी अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है।"

वर्तमान मामला इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है।

13. इस संदर्भ में, यह विवाद का विषय नहीं है कि एक महिला को प्रजनन संबंधी विकल्प और निर्णय लेने का अधिकार है जो उसकी शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता से संबंधित हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और अन्य**, वि.अ.या. (दी) सं. 12612/2022 दिनांक 21.07.2022, और **सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009) 9 एससीसी 1** के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है| **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2017) एससीसी 1**, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रजनन के संबंध में विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठापित गरिमा के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।

14. यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि जीवन के अधिकार से संबंधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में हमेशा गरिमा के साथ जीवन शामिल है। यहां बच्चा बलात्कार की पीडिता है। वर्तमान जैसे मामलों में गर्भपात को केवल यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अधिकार के रूप में परिभाषित करने के लिए नहीं घटाया जा सकता, बल्कि इसे मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है, क्योंकि यह पीड़ित के गरिमापूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करता है यदि इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह बलात्कार पीड़िता की निजता पर यौन हमले का प्रहार नहीं होता, बल्कि उसका शरीर घायल हो जाता है और उसकी आत्मा भयभीत हो जाती है। यह उम्मीद करना उचित नहीं होगा कि बलात्कार की पीडिता नाबालिग लड़की बच्चे को जन्म देने और उसकी परवरिश करने का बोझ उठाएगी, खासकर ऐसी स्थिति में जब वह खुद किशोरावस्था से गुजर रही हो। ऐसा करना एक बच्चे को दूसरे बच्चे को जन्म देने और उसका पालन-पोषण करने के लिए कहने के समान होगा। सामाजिक, वित्तीय और अन्य कारकों को देखते हुए जो तत्काल गर्भावस्था से जुड़े हैं, एक अवांछित गर्भावस्था निश्चित रूप से पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है।

15. बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट, जो तत्काल याचिका के साथ संलग्न है, बच्चे के साथ बातचीत के संबंध में अभिलेख पर है। इसके अवलोकन के साथ-साथ इस न्यायालय की बच्चे और मां के साथ बातचीत में यह खुलासा किया गया कि बच्चे ने 5वीं कक्षा तक अध्ययन किया है और गांव से लौटने के बाद,

वह अपनी पढ़ाई जारी रखने में समर्थ नहीं है, हालांकि वह आगे अध्ययन करना चाहती है| रहने के लिए कोई स्थाई जगह न होने के कारण, मां और पीड़ित बच्चा उन परिस्थितियों और दुर्भाग्य का शिकार होते हैं जो कम उम्र की युवती पर हुए हैं। अपनी मां की अनुपस्थिति में, जो काम पर गई थी, उस पर यौन उत्पीडन किया गया, वह मदद मांगने या परिणामों के डर से अपनी मां को यौन उत्पीड़न के बारे में बताने से भी डरती थी। दुर्भाग्य से, वह अपनी छोटी उम्र के कारण इस बात से अवगत नहीं थी कि इस तथ्य का खुलासा न करने से और अधिक दयनीय स्थिति पैदा हो सकती है जिसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है।

16. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में निदेश देने के लिए प्रवृत्त हैः

i. याचिकाकर्ता/पीड़ित 27 जनवरी, 2023 को 11 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी।

ii. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीक्षक और मेडिकल बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, इसके नियमों और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अन्य सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के

प्रावधानों के अनुसार सक्षम डॉक्टरों द्वारा नाबालिग पीड़िता/याचिकाकर्ता की गर्भावस्था का समापन किया जाए

iii.उसकी गर्भावस्था के समापन के लिए याचिकाकर्ता पर की जाने वाली प्रक्रिया का एक पूरा अभिलेख मेडिकल बोर्ड द्वारा रखा जाएगा

iv. याचिकाकर्ता/पीड़ित द्वारा आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संदर्भ में, संबंधित डॉक्टर भ्रूण के ऊतक को भी संरक्षित करेंगे क्योंकि यह डीएनए पहचान और अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकता है

v. राज्य याचिकाकर्ता की गर्भावस्था समाप्ति के लिए, उसकी दवाओं, भोजन आदि के लिए आवश्यक सभी खर्चों को वहन करेगा।

vi. यदि गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के प्रयासों के बावजूद बच्चा जीवित पैदा होता है, तो संबंधित चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि परिस्थितियों और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कानून के अनुसार जो कुछ भी उचित रूप से संभव और व्यवहार्य है, वह

सब कुछ ऐसे बच्चे को प्रदान किया जाए ताकि वह एक स्वस्थ बच्चे के रूप में विकसित हो सके।

16.1. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अभिभावक से सूचित सहमति लेने और मामले को मेडिकल बोर्ड, आरएमएल अस्पताल को भेजने और मेडिकल बोर्ड की राय लेने के बाद उपरोक्त निर्देश पारित किए हैं| यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित डॉक्टरों से यहां याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की प्रक्रिया करते समय हर सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखने की उम्मीद की जाती है।

17. पीड़िता के पास आगे बढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है और गर्भावस्था की समाप्ति के बाद उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है, इस पर वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इस न्यायालय से अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि अवांछित गर्भावस्था के साथ यौन हमले की पीड़िता का क्या होता है, जो माता-पिता के साथ रहते हैं, जो उसे शिक्षित करने में असमर्थ, योग्य हैं। इस न्यायालय ने गरीबी के न्यायशास्त्र पर विचार किया है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जबकि एक आपराधिक न्यायालय वर्तमान मामले के रूप में एक मामले को देखता है। इस न्यायालय ने पहले ही यह उल्लेख किया है कि सामाजिक संदर्भ जिसमें अपराध किए जाते हैं और पीड़ितों को कभी-कभी पीड़ा किसी याचिका का निपटारा करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

18. इस मामले में, दुर्भाग्यवश, पीड़िता बच्ची ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करी है और उसके बाद वह स्कूल नहीं जा पाई है। याचिकाकर्ता का परिवार एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहा है और इसलिए, वह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज पाने में असमर्थ है| इस त्रासद कहानी में 14 साल की एक लड़की है, हालांकि वह पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन गरीबी के कारण उसे घर पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके पिता और मां की आजीविका का साधन निर्माण स्थलों पर पहरेदार के रूप में काम कर रहे हैं। वे इस तरह के निर्माण स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी बेटी को सुरक्षित वातावरण और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ थे। यह मामला कई निर्णयों में जारी किए गए निर्देशों को लागू करने और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले और रहने वाले लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बताता है ताकि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों को संवैधानिक लक्ष्यों में से एक के रूप में प्राप्त किया जा सके।

19. गरीबी के अपने बहुआयाम हैं और गरीबी का अपना न्यायशास्त्र भी है। एक न्यायाधीश उन सामाजिक संदर्भों से खुद को अलग नहीं कर सकता जिसमें कोई अपराध किया जाता है। वर्तमान मामला इस बात का भी उदाहरण है कि किस प्रकार यौन हमले की एक दुखद घटना ने उस परिवार के पूरे जीवन को बदल

दिया है जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है और यौन उत्पीड़न के कारण नाबालिग बेटी गर्भवती हो जाती है|

20. किसी न्यायाधीश को केवल कानून और तथ्य का संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। यह सामाजिक संदर्भों का भी संज्ञान है और किसी आदेश के हेतुक होने वाले परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं। किसी मामले में अपने निर्देशों द्वारा से दिया गया निर्णय समय के साथ, इसमें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और दुखद घटना के आघात से जो अस्थिर हो गया है उसे सही करने की क्षमता है। यह न्यायालय एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा है जहां वह केवल वर्तमान मामले के तथ्यों का संज्ञान लेने के लिए खुद को रोक नहीं सकता है, लेकिन इस गरीब परिवार के कष्टों, मनोवैज्ञानिक आघात और परिस्थितियों द्वारा पराजित होने की भावना का संज्ञान लेने के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस करता है। इसी का संज्ञान न्यायालय को गरीबी के न्यायशास्त्र का पता लगाने के लिए और कैसे एक न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करके अपनी परिस्थितियों से बुरी तरह से पराजित व्यक्ति की परिस्थितियों में असाधारण सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

21. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को सभी के लिए न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने और किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने

वाले उचित रिट के साथ-साथ अन्य आदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है। इस प्रकार, न्यायालय की असाधारण शक्तियां न्यायालय को केवल उसके समक्ष मांगी गई प्रार्थना तक ही सीमित नहीं रखती हैं, बल्कि मांगी गई राहत से परे भी राहत प्रदान करती हैं।

22. इस मामले की परिस्थितियों में, यद्यपि इस न्यायालय में यौन हमले के पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए संपर्क किया गया है, पीड़िता और उसकी मां की इस न्यायालय के साथ बातचीत ने इस न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को यह सुनिश्चित करने के लिए भी मजबूर किया है कि पीड़िता बच्ची अवांछित यौन हमले से हुई गर्भावस्था के सदमे से मुक्त हो और एक सार्थक जीवन जीने में समर्थ है जो उसकी गरीबी से सीमित न हो। स्कूल जाने की इच्छा होने के बावजूद शिक्षित नहीं होने के उसके तथ्य से इस न्यायालय के ध्यान में आया की विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अधिकांश लोगों को भी जानकारी नहीं है जो इसके लाभार्थी हो सकते हैं।

22.1 यह न्यायालय दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को निर्देश देता है कि वे निर्माण स्थलों पर दिल्ली के सभी जिलों में अपने सचिवों द्वारा शहर में ऐसे श्रमिकों के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें ताकि ऐसे श्रमिकों को उनके शिक्षा के अधिकार के बारे में सूचित किया जा सके। विधि

महाविद्यालयों और अन्य महाविद्यालयों के छात्र सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (एसयूपीडब्ल्यू) के अपने कार्यक्रम के तहत निर्माण स्थलों पर कुछ कार्यक्रमों की व्यवस्था कर सकते हैं छात्र इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं और उन्हें उनके शैक्षिक अधिकारों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और उन्हें अपनी रचनात्मकता कौशल के साथ-साथ बुनियादी शिक्षा भी दे सकते हैं।

23. यह न्यायालय खेद की भावना के साथ आगे नोट करता है कि ऐसे मामलों में गर्भावस्था का समापन दुःख के रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि यह एक दूसरा मार्ग लेता है।

23.1 इन परिस्थितियों में, जैसा कि इस न्यायालय को अब सामना करना पड़ रहा है, यह न्यायालय यह उचित समझता है कि इस न्यायालय के समक्ष कम उम्र की पीड़िता जो खुद को शिक्षित करना चाहती है और समाज के लिए मूल्यवान बनना चाहती है और इस न्यायालय के संवैधानिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना उचित समझती है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन (गर्भ का चिकित्सकीय समापन) और पीड़िता बच्चे के लिए विश्राम की सलाह की अवधि समाप्त होने के बाद, उसे पास के एक सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा| यह निर्देश इसलिए दिया जा रहा है ताकि पीड़िता को अपनी परिस्थितियों के कारण सरकारी स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े।

23.2. दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे कानूनी अधिकारों सहित उनके अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए दिल्ली में सराहनीय काम कर रहे हैं, वे संभावनाओं का पता लगा सकते हैं और एक योजना भी बना सकते हैं, जहां ऐसे पीड़ितों को शिक्षा के उनके अधिकार के बारे में परामर्श और सूचित किया जाता है और उन्हें उचित मामलों में राज्य संचालित स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद की जा सके है पीड़िता बच्ची और उसकी मां ने बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे निश्चित अधिकारों के हकदार हैं जो उन्हें दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आगे बताया जाएगा और उन्हें इसके लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को संदर्भित और निर्देशित किया गया है।

24. यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि पीड़िता बच्ची 25 सप्ताह की गर्भावस्था में थी जब उसे इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। वित्तीय बाधाओं के कारण, वे केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति द्वारा से रिट याचिका दायर करने में समर्थ थे। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय महसूस करता है कि यौन उत्पीड़न के कारण 24 सप्ताह या उससे अधिक के गर्भावस्था के मामले में बोर्ड द्वारा पीड़िता की चिकित्सा जाँच के लिए आदेश पारित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया है, जो आगे उसके जीवन को खतरे में डालता है।

24.1. इस पर विचार करते हुए, यह न्यायालय जाँच अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को पारित करता है, उन मामलों में जहां ***गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक है***, जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा सभी संबंधित जाँच अधिकारियों को परिचालित किया जाएगाः

i. यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच के समय, मूत्र गर्भावस्था परीक्षण आयोजित करना अनिवार्य होगा, जैसा कि कई मामलों में, इस न्यायालय ने पाया है कि इस तरह का परीक्षण नहीं किया जाता है।

ii.यौन उत्पीड़न के कारण पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और यदि पीड़िता बालिग है तो वह अपनी सहमति देती है और गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की इच्छा व्यक्त करती है, तो संबंधित जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसी दिन पीड़िता को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम की धारा 3 के तहत परिकल्पित ऐसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसे इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि दिल्ली के निम्नलिखित चार अस्पतालों में गठित किया गया हैः(i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (iii) सफदरजंग अस्पताल,

नई दिल्ली और (iv) लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली।

iii. यदि यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की गर्भ धारण कर रही है तो उसके कानूनी अभिभावक की सहमति और ऐसे कानूनी अभिभावक की इच्छा पर उसे ऐसे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

iv. यदि ऐसे बोर्ड द्वारा किसी नाबालिग पीड़िता की जाँच की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, ताकि यदि न्यायलयों से गर्भपात के संबंध में कोई आदेश मांगा जा रहा है, तो संबंधित न्यायालय और अधिक समय बर्बाद न करे और वह उसी पर तेजी से आदेश पारित करने की स्थिति में हो।

v. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम की धारा 3 (2 ग) और 3 (2 घ) के अनुसार, यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। न्यायालय को सूचित किया जाता है कि ऐसे बोर्ड प्रत्येक जिले के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे जाँच अधिकारियों के साथ-साथ पीड़िता

को भी असुविधा होती है जिन्हें गर्भ का चिकित्सकीय समापन के लिए और आगे की जाँच के लिए जाना है। इस प्रकार, राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम की धारा 3 (2 ग) और 3 (2 घ) के ऐसे अधिदेश का अनुपालन किया जाए और के साथ और ऐसे बोर्डों का गठन उन सभी सरकारी अस्पतालों में किया जाए जिनके पास उचित गर्भ का चिकित्सकीय समापन केंद्र हैं और ऐसे बोर्डों का पहले गठन करना अनिवार्य होना चाहिए।

24.2. स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मामले केंद्रीय मंत्रालय दो महीने के भीतर इस न्यायालय के साथ उपर्युक्त दिशा-निर्देशों / निर्देशों के अनुपालन को साझा करेंगे।

25. इस मामले से अलग होने से पहले, यह न्यायालय मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई सहायता के लिए अपनी सराहना को रिकॉर्ड पर रखना चाहता है जिसने याचिकाकर्ता की चिकित्सा जाँच की है और एक दिन की बहुत कम अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदान की है। यह न्यायालय याचिकाकर्ता के साथ-साथ न्यायालय की सहायता करने के लिए राज्य के विद्वान अधिवक्तागण के प्रयासों की भी सराहना करता है| जाँच अधिकारी के प्रयास और जिस तत्परता के साथ

उसने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता की चिकित्सा जाँच कराई, वह भी सराहनीय है।

26. वर्तमान रिट याचिका का निपटान किया उपर्युक्त शर्तों में किया गया है।

27. इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा संबंधित जाँच अधिकारी, एसएचओ और अधीक्षक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली को सूचना और अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाए। प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अग्रेषित की जाए।

28. रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति (i) सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, (ii) दिल्ली पुलिस आयुक्त, (iii) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार और (iv) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी सामग्री पर ध्यान देने के लिए और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया जाता है।

29. इस निर्णय को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

25 जनवरी,2023/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*